दिनांक 09.04.2024
प्रेस विज्ञप्ति 09/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद चन्दौली/थाना बलुआ

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 09.04.2024 को थाना बलुआ, थाना धानापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहरगंज बाजार के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अंकित उर्फ ओमशक्ति को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बलुआ पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बलुआ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अंकित उर्फ ओमशक्ति निवासी हिंगुतरगढ़ थाना धानापुर जनपद चन्दौली।

जनपद मथुरा/थाना हाईवे

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 42 हजार 780 रूपये नगद**
- **लूट के भारी मात्रा में सोने—चाँदी के आभूषण**
- **लूट के 15 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 08.04.2024 को थाना हाईवे व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाईवे कट पेट्रोलपम्प के पास से अभियुक्त चाँद उर्फ पिलुआ उर्फ गटुआ को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 42 हजार 780 रूपये नगद, लूट के भारी मात्रा में

सोने–चाँदी के आभूषण, लूट के 15 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.03.2024 को थाना हाईवे क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हाईवे पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया, आभूषण, मोबाइल फोन आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मथुरा, कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 27 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना हाईवे पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–चाँद उर्फ पिलुआ उर्फ गटुआ निवासी डीग गेट थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा, हालपता करमने नियर तोरा थाना ताजगंज कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1–लूट के 01 लाख 42 हजार 780 रूपये नगद।

2–लूट के भारी मात्रा में सोने–चाँदी के आभूषण।

3–लूट के 15 मोबाइल फोन।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

5–01 मोटर साइकिल।

जनपद बिजनौर/थाना किरतपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 28 हजार रूपये नगद**
- **02 दो पहिया वाहन**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 08.04.2024 को थाना किरतपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निर्माणाधीन आमन कालोनी में अर्द्धनिर्मित मकान के पास

बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक मुख्य आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सोमपाल 2–बन्टी घायल हो गये, जिन्हें 3–श्याम 4–सूरज सहित गिरफ्तार किया गया। एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 28 हजार रूपये नगद, 02 दो पहिया वाहन, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सोमपाल के विरूद्ध जनपद महराजगंज, गाजीपुर, अमरोहा, बलिया व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोमपाल निवासी ग्राम खेरी जुनारदार अहमदगढ थाना झिंझाना जनपद शामली।

2–बन्टी निवासी थानूडेरा थाना झिंझाना जनपद शामली हाल निवासी ग्राम बल्दिया थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

3–श्याम निवासी थानूडेरा थाना झिंझाना जनपद शामली हाल निवासी ग्राम बल्दिया थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

4–सूरज निवासी थानूडेरा थाना झिंझाना जनपद शामली हाल निवासी ग्राम बल्दिया थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1–लूटे गये 28 हजार रूपये नगद।

2–02 दो पहिया वाहन।

3–03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख 07 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के लगभग 01 किलो 104 ग्राम सोने के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 09.04.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तिगरी गोल चक्कर के पास से 02 अभियुक्तों 1–सुनील कुमार 2–चंदकिरण उर्फ बन्टी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 लाख 07 हजार रूपये नगद, चोरी के लगभग 01 किलो 104 ग्राम सोने के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.02.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुनील कुमार निवासी डी–208 शिव बिहार थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद, स्थाई पता बढिया थाना बरौली जनपद गोपीगंज बिहार।

2–चंदकिरण उर्फ बन्टी निवासी ई–81 महेश मार्ग थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1–चोरी के 02 लाख 07 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के लगभग 01 किलो 104 ग्राम सोने के आभूषण आदि।

जनपद अलीगढ़/थाना क्वार्सी

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **44 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **03 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 38 नाल विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बिक्री के 20 हजार रूपये नगद**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 08.04.2024 को थाना क्वार्सी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डीपीएस स्कूल के पास खण्डहर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1–विजय 2–उमर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 44 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 38 नाल विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बिक्री के 20 हजार रूपये नगद, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना क्वार्सी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विजय निवासी रायल होम ताली नगरी थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़।

2–उमर निवासी जमालपुर थाना सिविल लाइन जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–44 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2–03 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 38 नाल विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बिक्री के 20 हजार रूपये नगद।

4–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद एटा/थाना नयागांव

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 07 हजार रूपये नगद**
- **लूटे गये 02 मोबाइल फोन**
- **लूटी गयी मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 08.04.2024 की रात्रि थाना नयागांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नौली चौराहा के पास से अभियुक्त दीपक को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 07 हजार रूपये नगद, लूटे गये 02 मोबाइल फोन, लूटी गयी मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना नयागांव क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नयागांव पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये, मोबाइल फोन, मोटर साइकिल लूट की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नयागांव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दीपक निवासी किनोड़ी खैराबाद थाना अलीगंज जनपद एटा।

बरामदगी

1—लूट के 07 हजार रूपये नगद।

2—लूटे गये 02 मोबाइल फोन।

3—लूटी गयी मोटर साइकिल।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद हापुड़/थाना गढमुक्तेश्वर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **43 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 09.04.2024 को थाना गढमुक्तेश्वर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेतों की मढैय्या से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1—अकबर उर्फ सोनी 2—इस्तेकार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 43 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अकबर उर्फ सोनी के विरूद्ध जनपद मेरठ, हापुड़ के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त इस्तेकार के विरूद्ध जनपद मेरठ, हापुड़ व अमरोहा के विभिन्न थानों पर आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गढमुक्तेश्वर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अकबर उर्फ सोनी निवासी इनायतपुर राधना थाना किठौर जनपद मेरठ।

2—इस्तेकार निवासी इनायतपुर राधना थाना किठौर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—43 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना रामसनेही घाट

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 09.04.2024 को थाना रामसनेही घाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दरियाबाद ओवर ब्रिज के पास ग्राम धरौली पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त सुशील

को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना रामसनेही घाट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुशील निवासी बीकापुर थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—चोरी की 10 मोटर साइकिल।

जनपद एटा/थाना कोतवाली नगर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **27 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **02 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 08.04.2024 की रात्रि थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अलीगंज रोड इण्डियन पेट्रोल पम्प के सामने घने सुनसान जंगल से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त विक्रम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 27 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद एटा के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विक्रम निवासी सुल्तानपुर थाना जैथरा जनपद एटा।

बरामदगी

1–27 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–02 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना देवा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 80 लाख 45 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 845 ग्राम अवैध स्मैक**
- **नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 09.04.2024 को थाना देवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मित्तई नहर पुल के पास से 03 अभियुक्तों 1–बिरजू 2–धनेश 3–इन्द्रेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 80 लाख 45 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 845 ग्राम अवैध स्मैक, नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना देवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बिरजू निवासी ग्राम अहिबनपुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर।

2–धनेश निवासी ग्राम दहला थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर।

3–इन्द्रेश निवासी ग्राम चन्दौली थाना थानगाँव जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–लगभग 80 लाख 45 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 845 ग्राम अवैध स्मैक।

2–नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन।

3–01 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद सीतापुर/थाना पिसावां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना पिसावां पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त सुरेन्द्र 2–अनूप 3–संतोष 4–पतिराखन को धारा 147/148/149/307/302 भादवि व 7 सीएलए एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व प्रत्येक को 33 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 5–अपेश 6–बलभद्र को धारा 147/148/149/307/302 भादवि व 7 सीएलए एक्ट व 25(1–बी) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व प्रत्येक को 38 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हरदोई/थाना हरपालपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना हरपालपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजकिशोर को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद चित्रकूट/थाना मऊ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त लालचन्द्र को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————